न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/39

1. रामकल्याण बालिग आत्मज सीताराम जाति मीणा निवीस बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. घीसी बाई बेवा सीताराम जाति मीणा निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्द ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता बाई मुख्य नहर उपखण्ड, सीएडी कोटा ।
2. कनिष्ठ अभियन्ता बाई मुख्य नहर उपखण्ड, सीएडी, कोटा ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश महोदय, बून्दी

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी में से लगभग 02 बीघा पर गेहूं की फसल बोई है । प्रतिवादीगण गैर कानूनी रूप से प्रार्थी को उसकी आराजी से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को ज़रिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को उनके खाते की भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उपत्न नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर लें तो वापस कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.05.2018 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह वाद केवल अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि के अधिकारों की सुरक्षा बाबत् किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है और अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी ने प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा किया है । यह तथ्य उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर एक दूसरे के विपरीत है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को यह बताया गया कि समस्त पत्रावलियों में कैम्प समाप्ति के पश्चात् अंकित की जावेगी जिस पर अपीलान्ट जुलाई–अगस्त माह में अपनी पत्रावली तलाश करने गया तो पेशी रजिस्टर में अंकन नहीं पाया गया । न्यायालय का रिकॉर्ड देखने पर आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट बाजड में ही वाद का निर्णय पारित कर दिया गया है । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह वाद केवल अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि के अधिकारों की सुरक्षा बाबत् किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है और अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी ने प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा किया है । यह तथ्य उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर एक दूसरे के विपरीत है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित *निर्णय दिनांक 28.05.2018 निरस्त* फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय *ने लोक अदालत* की भावना से निर्णय पारित किया है । प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश

किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से वादी कम 1 रामकल्याण के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा